न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 131/2022–23

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तोपचॉची से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, तोपचॉची के पत्रांक– 196, दिनांक– 27.03.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक खेमलाल महतो, पिता– स्व0 पुनित महतो, साकिम– चितरपुर टोला मानटांड़, पो0– तोपचॉची, थाना– तोपचॉची, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– चितरपुर, मौजा नं0– 47, खाता सं0– 186, प्लॉट सं0– 2903, रकवा– 0.55 डिसमील भूमि क्रेता पुरन प्रसाद महतो, पिता– विजय महतो, साकिम– गेंदनवाडीह, पो0– ताँतरी, थाना– तोपचॉची, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी है तथा दोनो एक ही थाना– तोपचॉची, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 2 एकड़ 10 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 14:40:59 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner